

निर्माण कामगार के रूप में किये गये कार्य के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पत्नी निवासी

ने निर्माण कामगार के रूप में एक वर्ष की अवधि में कुल दिनों तक कार्य किया है

जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रं सं०	निर्माण कार्य स्थल का पता	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	नियोजक/ठेकेदार का नाम पता व फोन नं०
1				
2				
3				
4				
5				

स्थान:—

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

दिनांक:—

नाम :.....

पद :.....

फोन नं०:.....

(नियोजक अथवा ठेकेदार/पंचायत सचिव/ग्राम सचिव/कानूनगो व पटवारी खण्ड विकास एवं
पंचायत अधिकारी/सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी/तहसीलदार व नायब तहसीलदार/जिला
विकास एवं पंचायत अधिकारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य/सहायक श्रम
आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सभी सरकारी विभागों/बोर्ड व निगमों के सभी उपमंडल अभियंता व कनिष्ठ
अभियंता/राज्य की नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों तथा नगर निगमों के सभी सचिव,
कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता में से किसी एक द्वारा प्रमाणित)